सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 837 राँची, शुक्रवार

6 अग्रहायण, 1937 (श०)

27 नवम्बर, 2015 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

23 नवम्बर, 2015

विषय: झारखण्ड राज्य के बी0पी0एल0 परिवारों एवं 72 हजार रूपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्यों को निःशुल्क डायग्नोस्टिक जाँच (पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी) की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु **''मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक जाँच योजना''** की स्वीकृति।

संख्या: 6/पी0 (नई यो0)-33/15- **1028 (6)--**विभागीय संकल्प संख्या-184(13) दिनांक 17 जुलाई, 2015 द्वारा बी0पी0एल0 परिवार एवं 72 हजार रूपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों को 84 गंभीर बीमारियों के ईलाज पर होने वाले व्यय के लिए अधिकत्तम 2.50 लाख रूपये तथा कैंसर एवं गुर्दा प्रत्यारोपन के लिए अधिकत्तम क्रमशः 4 लाख एवं 5 लाख रूपये तक चिकित्सा सहायता दिये जाने की स्वीकृति दी गई है।

2. उपर्युक्त स्वीकृति में वैसे परिवार के सदस्यों के डायग्नोस्टिक जाँच (पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी) का प्रावधान नहीं किया गया है, जिस कारण बीमारी के वास्तविक ईलाज प्रारंभ करने के पूर्व आवश्यक जाँच कराने पर होने वाले व्यय का वहन वैसे परिवार के सदस्यों को ही कराना पड़ता है।

उन लोगों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय रहने के कारण कई बार चिकित्सकों के परामर्श के बावजूद भी आवश्यक जाँच नहीं कराया जाता है। परिणामस्वरूप बीमारी गंभीर हो जाता है।

3. माननीय मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में बनी सहमति एवं मंत्रिपरिषद की दिनांक 3 नवम्बर, 2015 को संपन्न बैठक में मद सं0-16 में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में सामान्य रूप से झारखण्ड में रह रहे बी0पी0एल0 परिवार एवं 72 हजार रूपये तक के वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों को निःशुल्क डायग्नोस्टिक जाँच (पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी) कराने हेतु **''मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक जाँच योजना''** प्रारंभ करने एवं कार्यान्वयन निम्नवत् किये जाने की स्वीकृति दी जाती है:-

(i) अहर्ता - **(क)** वैध बी0पी0एल0 कार्ड/लाल कार्ड/अंत्योदय कार्ड/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा 72 हजार रूपये तक वार्षिक आय का निर्गत आय प्रमाण-पत्र।

(ख) सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा डायग्नोस्टिक जाँच हेतु निर्गत पूर्जा।

(ii) लाभान्वित - उपर्युक्त कंडिका (i) **(क)** के परिवार के सभी सदस्य।

(iii) जाँच केन्द्र - सभी सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र/झारखण्ड सरकार द्वारा Public Private Partnership के अन्तर्गत स्थापित पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी जाँच केन्द्र।

(iV) दर - सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र में निःशुल्क। झारखण्ड सरकार द्वारा Public Private Partnership के अन्तर्गत स्थापित पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी जाँच केन्द्र में लाभुकों को निःशुल्क। इस पर व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा उक्त शहर के लिए निर्धारित सी0जी0एच0एस0 दर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा।

(V) प्रक्रिया - **(क)** सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार डायग्नोस्टिक जाँच के लिए ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 मरीजों के लिए पूर्जा निर्गत किया जायेगा तथा एक पंजी में मरीज का नाम, पता, पहचान-पत्र, बी0पी0एल0 कार्ड/लाल कार्ड/अंत्योदय कार्ड/आय प्रमाण-पत्र की विवरणी, जाँच का प्रकार, निबंधन संख्या एवं अनुशंसित जाँच केन्द्र आदि की विवरणी की प्रविष्टि की जायेगी।

(ख) जिस जाँच केन्द्र के लिए पूर्जा निर्गत किया जायेगा उक्त जाँच के पदाधिकारी एक अलग पंजी संधारित करेंगे जिसमें उपर्युक्त कंडिका**-(क)** के अनुरूप प्रविष्टि करेंगे तथा जाँच पर हुए व्यय की राशि की विवरणी भी अंकित करेंगे।

(ग) जाँच केन्द्र द्वारा जाँचोपरान्त जाँच प्रतिवेदन मरीज/परिवार के सदस्य को उपलब्ध कराया जायेगा। मरीज उक्त जाँच प्रतिवेदन को अनुशंसा करने वाले या उक्त संस्थान के किसी अन्य चिकित्सक को उपलब्ध करायेंगे।

(घ) Public Private Partnership के अन्तर्गत स्थापित पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी जाँच केन्द्र द्वारा जाँच पर हुए व्यय से संबंधित अभिश्रव प्रत्येक माह के अन्त में अनुशंसित करने वाले चिकित्सा संस्थान को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित चिकित्सा संस्थान के प्रभारी पदाधिकारी उसे संबंधित सिविल सर्जन को उपलब्ध करायेंगे।

(ङ) संबंधित सिविल सर्जन मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन से राशि अभिश्रव प्राप्त होने के बाद उक्त जाँच केन्द्र को उनके बैंक खाता में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सिविल सर्जन इस मद में होने वाले व्यय की विवरणी अलग पंजी में संधारित करेंगे। सभी स्तर पर सूचनाओं को कम्प्यूटरीकृत करेंगे।

(च) जिन डायग्नोस्टिक जाँचों की सुविधा सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध है उसकी जाँच वहाँ ही कराना सुनिश्चित करेंगे।

(छ) सामान्यतः जिस जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड द्वारा बी0पी0एल0 कार्ड/लाल कार्ड/अंत्योदय कार्ड/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा 72 हजार रूपये तक वार्षिक आय का निर्गत आय प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा उसी के निकटवर्ती अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निकटवर्ती अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र/झारखण्ड सरकार द्वारा Public Private Partnership के अन्तर्गत स्थापित पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी जाँच केन्द्र में डायग्नोस्टिक जाँच के लिए पूर्जा निर्गत किया जायेगा। विशेष आकस्मिक परिस्थिति में ही इस राज्य के किसी अन्य जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड के बी0पी0एल0 कार्ड/लाल कार्ड/अंत्योदय कार्ड/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा 72 हजार रूपये तक वार्षिक आय का निर्गत आय प्रमाण-पत्र वाले परिवार के सदस्य को डायग्नोस्टिक जाँच के लिए पूर्जा निर्गत किया जायेगा।

(ज) एडभान्स डायग्नोस्टिक टेस्ट के मामले में समय-समय पर अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल/संबंधित सिविल सर्जन द्वारा इस आशय का रैण्डम जाँच कराया जायेगा कि चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा एडभान्स डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए की गई अनुशंसा वास्तव में आवश्यक था अथवा नहीं। यदि जाँचोपरान्त यह पाया जाता है कि एडभान्स डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए की गई अनुशंसा की आवश्यकता नहीं थी, तो वैसे चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(झ) भविष्य में इस योजना के कार्यान्वयन में यदि किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसे दूर करने एवं प्रक्रियाओं में सुधार विभाग द्वारा किया जायेगा।

4. अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण - इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु चिकित्सा संस्थान के प्रभारी पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक/सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा निरंतर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के क्रम में योजना के कार्यान्वण की पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं ससमय जाँच तथा भुगतान का भी अनुश्रवण किया जायेगा। समय-समय पर विभाग/निदेशालय द्वारा भी इसका पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० विद्यासागर,

सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 837—50 ।